तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 95/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/175) बअनवान जैनो व अन्य बनाम जरीना खातू इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

जैनो व अन्य

बनाम

जरीना खातू इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री देवीसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ व दस
4. **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

आदेश

दिनांक 12 फरवरी 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2024 अनवान जरीना खातू व अन्य बनाम अब्दुल रहीम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 मई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक खातेदार नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट संख्या दो वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 326/57 का सहखातेदार है, जिसको बंटवाड़े के वाद में पक्षकार ही नही बनाया गया है। इस कारण वादीगण का वाद चलने काबिल नहीं है। अपीलार्थी संख्या दो के नाम से विद्युत कनेक्शन आया हुआ है जो अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से रुक गया है। इस कारण अपीलांट संख्या दो हस्तगत मामले में व्यथित पक्षकार है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 95/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/175) बअनवान जैनो व अन्य बनाम जरीना खातू इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जारी किये जाने के बाद आदेश 39 नियम 3(ए) सीपीसी के प्रावधानों की पालना ही नहीं की गई है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट संख्या दो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपीलांट्स की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 मई 2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 226/57 रकबा 2.5565 हैक्टेयर ग्राम गईया नगर के सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट संख्या दो दो वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार दर्ज होने से अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट संख्या दो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 95/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/175) बअनवान जैनो व अन्य बनाम जरीना खातू इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपलब्ध अभिलेख से प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा दिनांक 28 मई 2024 के अस्थाई व्यादेश के जरिये अपीलांट को विद्युत कनेक्शन की छूट प्रदान की जाकर वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट को अपीलाधीन से आदेश से पाबंद किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। न्याय हित में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर